प्रेस नोट *दिनांक 19.05.2026*

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसका विवरण निम्नवत है।

थानावार गिरफ्तारी का विवरण:

1. थाना मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 148/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 85, 80(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट के अभियोग से संबंधित अभियुक्ता रम्भा देवी पत्नी विसम्भर चौहान निवासी खैरा देवारा दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र करीब 55 को दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार किया गया नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।
2. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2026 धारा 137(2)/87/61(2)/64(2) बीएनएस व धारा 5(L)/6 पाक्सो एक्ट, से सम्बन्धित 01 नफर बाल अपचारी थाना कोपागंज जनपद मऊ, को ढेकवारा अम्बेडकर मूर्ति के पास पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
3. थाना घोसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-534/2025 धारा 2(b)(1)/3(1) उत्तरप्रदेश गैगेस्टर एक्ट थाना घोसी में वाछिंत 10,000 /- रुपये इनामिया अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद पुत्र स्व0 हाजी अंसार नि0 करीमुद्दीनपुर थाना घोसी जनपद मऊ को करीमुद्दीनपुर से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 19.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 45 टीम गठित कर जनपद के 48 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1650 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 569 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 11 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड के मामलो में 02 पीड़ितों को 30000 रुपये की धनराशि वापस कराई गई–

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोहरीघाट की साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 02 पीड़ितों की धनराशि वापस कराई गई।

विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के थाना दोहरीघाट से 02 पीड़ित क्रमश: 20000 रु0 व 10000 रु0 की कुल धनराशि 30000 /-रुपये उनके खाते में वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस नोट जनपद मऊ

दिनांक : 19/05/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसका विवरण निम्नवत है।

थानावार गिरफ्तारी का विवरण:

1. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी(हिस्ट्रीसीटर) अभियुक्त सुदामा राजभर पुत्र मंगरु राजभर निवासी ग्राम जहनियापुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।